2019 का विधेयक संख्यांक 362

[दि टैक्सेशन लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019

आय-कर अधिनियम, 1961 और वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह अन्यथा उपबंधित के सिवाय, 20 सितंबर, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

अध्याय 2

आय-कर अधिनियम, 1961 में संशोधन

धारा 92खक का संशोधन ।

1961 का 43

2. आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 92खक के खंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित खंड

1 अप्रैल, 2020 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(vक) धारा 115खकख की उपधारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के बीच संव्यवहार किया गया कोई कारबार ;"।

धारा 115खक का संशोधन ।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 115खक में 1 अप्रैल, 2020 से,—

(क) पार्श्व शीर्ष "कतिपय देशी कंपनियों की आय पर कर" के स्थान पर "कतिपय विनिर्माणकारी देशी कंपनियों की आय पर कर" पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (1) में "इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए", शब्दों के स्थान पर "धारा 115खकक का और धारा 115खकख के अधीन वर्णित उपबंधों से भिन्न, इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि जहां कोई व्यक्ति धारा 115खकक के अधीन विकल्प का प्रयोग करता है, वहां इस धारा के अधीन विकल्प को वापस लिया जा सकेगा ।"।

नई धारा 115खकक और धारा 115खकख का अंत:स्थापन ।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 115खक के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं 1 अप्रैल, 2020 से अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

कतिपय देशी कंपनियों की आय पर कर ।

"115खकक. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किंतु इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, धारा 115खक और धारा 115खकख के अधीन वर्णित से भिन्न, किसी व्यक्ति, जो देशी कंपनी है, की कुल आय के संबंध में 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष के लिए संदेय आय-कर की, संगणना ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर बाईस प्रतिशत की दर से की जाएगी, यदि उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा किया जाता है :

परंतु जहां कोई व्यक्ति किसी पूर्व वर्ष में उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्त को पूरा करने में असफल रहता है, उस पूर्व वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में विकल्प अविधिमान्य हो जाएगा और अधिनियम के अन्य उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो पूर्व वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में विकल्प का उपयोग नहीं किया गया था ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी यदि कंपनी की कुल आय की संगणना,—

(i) धारा 10कक या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) या धारा 32कघ या धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (1) के

उपखंड (ii) या उपखंड (iiक) या उपखंड (iii) या उपधारा (2कक) या उपधारा (2कख) या धारा 35कघ या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के उपबंधों के अधीन या धारा 80ञञकक के उपबंधों से भिन्न शीर्ष "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" के अधीन अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन बिना किसी कटौती के कर ली गई है ;

(ii) किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष से अग्रनीत किसी हानि या अवक्षयण का मुजरा किए बिना कर ली गई है, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी कटौती के कारण हुई मानी जा सकती है ;

(iii) किसी हानि का मुजरा या धारा 72क के अधीन किसी शेष अवक्षयण का मोक किए बिना, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण खंड (i) में निर्दिष्ट किसी कटौती के कारण हुई मानी जा सकती है ; और

(iv) उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) से भिन्न धारा 32 के अधीन किसी अवक्षयण का दावा करके कर ली गई है, यदि कोई हो, जिसका अवधारण ऐसी रीति में किया गया हो, जो विहित की जाए ।

(3) उपधारा (2) के उपखंड (ii) और खंड (iii) में निर्दिष्ट हानि और अवक्षयण के लिए यह समझा जाएगा कि उसे पूर्ण रूप से प्रभावी किया गया है और ऐसी हानि या अवक्षयण के लिए किसी पश्चातवर्ती वर्ष में कोई और कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी :

परंतु जहां किसी आस्ति के खंड के संबंध में कोई अवक्षयण मोक है, जिसे 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से पूर्व पूर्णतया प्रभावी नहीं किया गया है, 1 अप्रैल, 2019 को विहित रीति में ऐसे आस्ति खंड के अवलिखित मूल्य में तत्स्थानी समायोजन ऐसे किया जाएगा, मानो उपधारा (5) के अधीन विकल्प का उपयोग 1 अप्रैल, 2020 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष के लिए किया गया है ।

(4) किसी व्यक्ति की दशा में, जिसकी धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कोई इकाई है, जिसने उपधारा (5) के अधीन विकल्प का उपयोग किया है, उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों को उस परिमाण तक उपांतरित किया जाएगा कि धारा 80ठक के अधीन कटौतियां ऐसी इकाई को उक्त धारा में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए उपलब्ध होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "इकाई" पद का वही अर्थ होगा, जो उसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यग) में है । 2005 का 28

(5) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात लागू नहीं होगी सिवाय तब जब व्यक्ति द्वारा विहित रीति में 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले सुसंगत निर्धारण वर्ष से किसी पूर्व वर्ष में आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए

धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सम्यक् तारीख को या उससे पूर्व विकल्प का उपयोग नहीं कर लिया जाता है और ऐसा विकल्प एकबार उपयोग कर लिए जाने पर पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होगा :

परंतु किसी व्यक्ति की दशा में, जहां उसके द्वारा धारा 115खकख के अधीन उपयोग किया गया विकल्प उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (ii) या उपखंड (iii) या उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (ख) की शर्तों के उल्लंघन के कारण अविधिमान्य ठहराया गया है, ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन विकल्प का उपयोग कर सकेगा :

परंतु यह और कि एक बार किसी पूर्व वर्ष के लिए विकल्प का उपयोग कर लिया जाता है तो उसका उस या किसी अन्य पूर्व वर्ष के लिए पश्चातवर्ती रूप से वापस नहीं लिया जा सकता है ।"।

नई विनिर्माणकारी देशी कंपनियों की आय पर कर ।

115खकख. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किंतु धारा 115खक और धारा 115खकक के अधीन वर्णित उपबंधों से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति, जो देशी कंपनी है, की कुल आय के संबंध में 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष के लिए संदेय आय-कर की ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर पन्द्रह प्रतिशत की दर से संगणना की जाएगी, यदि उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तें पूरी की जाती हैं :

परंतु जहां व्यक्ति की कुल आय में कोई ऐसी आय सम्मिलित है, जो न तो किसी विनिर्माण से उदभूत है न ही उसके कारण है या किसी वस्तु या चीज के उत्पादन से व्युत्पन्न है न ही उसके कारण है और जिसके संबंध में इस अध्याय के अधीन पृथक् रूप से किसी विशिष्ट कर दर का उपबंध नहीं किया गया है, ऐसी आय पर बाईस प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा और किसी व्यय या मोक के संबंध में कोई कटौती या मोक ऐसी आय की संगणना करने में अनुज्ञात किया जाएगा :

परंतु यह और कि उपधारा (6) के दूसरे परंतुक के अधीन किसी व्यक्ति की समझी गई आय के संबंध में संदेय आय-कर की संगणना तीस प्रतिशत की दर से की जाएगी :

परंतु यह भी कि किसी पूंजी आस्ति, जिस पर अधिनियम के अधीन कोई अवक्षयण अनुज्ञेय नहीं है, के अंतरण से व्युत्पन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ से आय के संबंध में संदेय आय-कर की संगणना बाईस प्रतिशत की दर से की जाएगी :

परंतु यह भी कि जहां व्यक्ति उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों को किसी पूर्व वर्ष में पूरा करने में असफल रहता है, वहां विकल्प उस पूर्व वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में अविधिमान्य हो जाएगा और अधिनियम के अन्य उपबंध व्यक्ति को ऐसे लागू होंगे मानो उस पूर्व वर्ष से

सुसंगत निर्धारण वर्ष और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में विकल्प का उपयोग नहीं किया गया था ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी, अर्थात् :—

(क) कंपनी 1 अक्तूबर, 2019 को या उसके पश्चात् पहले स्थापित और रजिस्ट्रीकृत की गई है और उसने 31 मार्च, 2023 को या उससे पूर्व विनिर्माण आरंभ कर दिया है, और,—

(i) कारबार विभाजन द्वारा या पहले से ही विद्यमान किसी कारबार के पुनर्गठन द्वारा विरचित नहीं की जाती है :

परंतु यह शर्त किसी कंपनी के संबंध में लागू नहीं होगी, जिसके कारबार की विरचना ऐसे उपक्रम के किसी कारबार के व्यक्ति द्वारा पुनः स्थापना, पुनर्गठन या पुनः प्रवर्तन के परिणामस्वरूप, जैसा कि धारा 33ख में निर्दिष्ट परिस्थितियों और उस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, की जाती है ;

(ii) किसी मशीनरी या संयंत्र, जिसका पूर्व में किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, का उपयोग नहीं करती है ।

स्पष्टीकरण 1—उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, कोई मशीनरी या संयंत्र, जिसका भारत से बाहर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया था, को किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र नहीं माना जाएगा, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं, अर्थात् :—

(अ) ऐसी मशीनरी या संयंत्र का प्रतिष्ठापन की तारीख से पूर्व किसी भी समय भारत में उपयोग नहीं किया गया था ;

(आ) ऐसी मशीनरी या संयंत्र का भारत से बाहर किसी देश से भारत में आयात किया जाता है ; और

(इ) व्यक्ति द्वारा मशीनरी या संयंत्र के प्रतिष्ठापन की तारीख से पूर्व किसी भी अवधि में किसी व्यक्ति की कुल आय की संगणना करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी मशीनरी या संयंत्र के संबंध में अवक्षयण के मद्दे कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की गई है या अनुज्ञेय नहीं है ।

स्पष्टीकरण 2—जहां किसी व्यक्ति की दशा में, कोई मशीनरी या संयंत्र या उसके किसी भाग का किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में उपयोग किया गया है, का कंपनी द्वारा उपयोग किया जाता है और ऐसी मशीनरी या संयंत्र या उसके भाग का कुल मूल्य कंपनी द्वारा उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य के बीस प्रतिशत से अनधिक है, तब इस खंड के उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए उसमें

विनिर्दिष्ट शर्त का अनुपालन किया गया समझा जाएगा ;

(iii) यथास्थिति, पूर्व में किसी होटल या किसी कन्वेंशन केन्द्र के रूप में उपयोग किए गए किसी भवन, जिसके संबंध में धारा 80झघ के अधीन कटौती का दावा किया गया है और अनुज्ञात की गई है, का उपयोग नहीं करता है ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "होटल" और "कन्वेंशन केन्द्र" पद का क्रमश: वही अर्थ होगा जो उनका धारा 80झघ की उपधारा (6) के खंड (क) और खंड (ख) में है ;

(ख) कंपनी किसी चीज या वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन और उससे संबंधित अनुसंधान के कारबार से भिन्न किसी कारबार या ऐसी वस्तु या चीज के वितरण में नहीं लगी हुई है, जिसका विनिर्माण या उत्पादन उसके द्वारा किया जाता है ;

स्पष्टीकरण—शंकाओं का निराकरण करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में निम्नलिखित कारबार सम्मिलित नहीं होगा,—

(i) किसी प्ररूप या किसी मीडिया में कंप्यूटर साफ्टवेयर के विकास ;

(ii) खनन ;

(iii) संगमरमर खंडों या वैसी ही वस्तुओं का स्लैबों में संपरिवर्तन ;

(iv) सिलेंडर में गैस के बोटलीकरण ;

(v) पुस्तकों की प्रिंटिंग या सिनेमेटोग्राफ फिल्म के उत्पादन ; या

(vi) कोई अन्य कारबार, जैसा कि इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ; और

(ग) कंपनी की कुल आय की संगणना,—

(i) धारा 10कक या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) या धारा 32कघ या धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (1) के उपखंड (ii) के उपखंड (iiक) या उपखंड (iii) या उपधारा (2कक) या उपधारा (2कख) या धारा 35कघ या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के उपबंधों के अधीन या धारा 80ञञकक के उपबंधों से भिन्न शीर्ष "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" के अधीन अध्याय 6क के बिना उपबंधों के अधीन बिना किसी कटौती के कर ली गई है ;

(ii) किसी हानि का मुजरा या शेष अवक्षयण का मोक किए बिना, जिसे धारा 72क के अधीन ऐसा समझा गया है, जहां ऐसी हानि

या अवक्षयण उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी कटौती के के कारण हुई मानी जा सकती है ;

स्पष्टीकरण–शंकाओं का निराकरण करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी समामेलन की दशा में उपधारा (7) के अधीन विकल्प केवल समामेलित कंपनी की दशा में, यदि उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों को ऐसी कंपनी द्वारा पूरा किया जाना जारी रहता है, विधिमान्य रहेगा ; और

(iii) उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) से भिन्न धारा 32 के अधीन अवक्षयण का दावा करके कर ली गई है, जिसका अवधारण ऐसी रीति में किया गया हो, जो विहित की जाए ।

(3) उपधारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट हानि के लिए यह समझा जाएगा कि उसे पूर्ण रूप से प्रभावी किया गया है और ऐसी हानि के लिए किसी पश्चातवर्ती वर्ष में कोई और कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(4) यदि, यथास्थिति, उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (ii) या उपखंड (iii) या उक्त धारा के खंड (ख) में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा करने के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो बोर्ड केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से कठिनाई को दूर करने और नया संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करते हुए चीज या वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन का संवर्धन करने के प्रयोजन के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकेगा ।

(5) बोर्ड द्वारा उपधारा (4) के अधीन जारी प्रत्येक मार्ग दर्शक सिद्धान्त संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और वह व्यक्ति और उसके अधीनस्थ प्रत्येक आय-कर प्राधिकारी पर बाध्यकर होगा ।

(6) जहां किसी निर्धारण अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि व्यक्ति, जिसे यह धारा लागू होती है और किसी अन्य व्यक्ति के बीच निकट संबद्ध के कारण या किसी अन्य कारण से उनके बीच कारबार के अनुक्रम का इस प्रकार ठहराव किया गया है कि उनके बीच संव्यवहार किया गया कारबार कंपनी को साधारण लाभ, जिसके उदभूत होने की प्रत्याशा है, से अधिक लाभ उत्पन्न करता है, तो निर्धारण अधिकारी इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए लाभ की उस रकम को गणना में लेगा, जो युक्तियुक्त रूप से उनके द्वारा प्राप्त की गई समझी जा सकेगी :

परंतु यदि पूर्वोक्त ठहराव में धारा 92खक में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार अतर्वलित है, तो ऐसे संव्यवहार से लाभ की रकम का अवधारण धारा 92च के खंड (ii) में यथा परिभाषित संनिकट कीमत को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा :

परंतु यह और कि रकम, जो निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित लाभ की रकम से अधिक लाभ है, को उस व्यक्ति की आय समझा जाएगा ।

(7) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि व्यक्ति द्वारा विकल्प का विहित रीति में उपयोग धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष की आय की पहली विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व नहीं कर लिया जाता है और एक बार उपयोग किया गया ऐसा विकल्प पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होगा :

परंतु एक बार किसी पूर्व वर्ष के लिए विकल्प का उपयोग कर लिया जाता है तो उसका उस या किसी अन्य पूर्व वर्ष के लिए पश्चातवर्ती रूप से वापस नहीं लिया जा सकता है ।

स्पष्टीकरण—धारा 115खकक और इस धारा के प्रयोजनों के लिए "शेष अवक्षयण" पद का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 72क की उपधारा (7) के खंड (ख) में है ।

धारा 115ञकक का संशोधन ।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञकक में उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2020 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(8) इस धारा के उपबंध किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जिसने धारा 115खकक के अधीन विकल्प का उपयोग किया है ।"।

धारा 115ञख का संशोधन ।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख में, 1 अप्रैल, 2020 से,—

(क) उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले पूर्व वर्ष के लिए इस उपधारा के उपंबधों का ऐसे प्रभाव होगा मानो दोनों स्थानों पर आने वाले "साढे अठारह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पन्द्रह प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित कर दिए गए थे ।";

(ख) उपधारा (5क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(5क) इस धारा के उपबंध,—

(i) धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से किसी कंपनी को उदभूत या होने वाली कोई आय ;

(ii) किसी व्यक्ति को, जिसने धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन निर्दिष्ट विकल्प का उपयोग किया है,

को लागू नहीं होंगे ।"।

धारा 115थक का संशोधन ।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 115थक की उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा और 5 जुलाई, 2019 से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

1992 का 15

"परंतु इस उपधारा के उपबंध शेयरों के ऐसे वापस क्रय को (जो किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयर हैं), जिनके संबंध में, समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का वापस क्रय) विनियम, 2018 के उपबंधों के अनुसरण में 5 जुलाई, 2019 से पूर्व कोई लोक उद्घोषणा की गई है, को लागू नहीं होंगे ।"

अध्याय 3

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 का संशोधन

2019 के अधिनियम सं. 23 का संशोधन ।

8. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 [जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम कहा गया है] की धारा 2 की उपधारा (9) में 1 अप्रैल, 2019 से—

(क) दूसरे परंतुक में, "अधिभार" शब्दों के पश्चात् "सिवाय किसी देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम धारा 115खकक या धारा 15खकख के अधीन कर से प्रभार्य है" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) तीसरे परंतुक में,—

(i) खंड (क) में, "आय-कर अधिनियम" शब्दों के स्थान पर "आय-कर अधिनियम, आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है" शब्द, अंक और अक्षर रखे गए समझे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा और निम्नलिखित के संबंध में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'(कक) व्यष्टिक या व्यक्तियों के प्रत्येक संगम या व्यष्टिक निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन आय है,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय [आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की

आय को छोड़कर] दो करोड़ रुपए से अधिक है किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के बीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय [आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर] पांच करोड़ रुपए से अधिक होती है, ऐसे "अग्रिम कर" के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(v) जहां कुल आय [आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर] दो करोड़ रुपए से अधिक होती है किंतु जो उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के अधीन नहीं आती है, ऐसे "अग्रिम कर" के पन्द्रह प्रतिशत की दर से :

परंतु ऐसी दशा में, जहां कुल आय में आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्रभार्य कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग पर संगणित अग्रिम कर पर अधिभार पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ;';

(iii) खंड (ग) में प्रारंभिक भाग में "देशी कंपनी" शब्दों के स्थान पर, "देशी कंपनी, सिवाय ऐसी देशी कंपनी के, जिसकी आय आय-कर अधिनियम धारा 115खकक या धारा 15खकख के अधीन कर से प्रभार्य है" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे और अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ग) चौथे परंतुक में "उपरोक्त (क) में" शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर "उपरोक्त (क) और (कक) में" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) आठवें परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, किसी आय की बाबत पहले परंतुक के अधीन संगणित अग्रिम कर को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे अग्रिम कर पर दस प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार से बढ़ा दिया जाएगा" ।

पहली अनुसूची के दूसरे भाग का संशोधन ।

9. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(क) भाग 2 में, "आय-कर पर अधिभार" उपशीर्ष के अधीन पैरा (i) में, खंड (क) में, 1 अप्रैल, 2019 से--

(i) उपखंड I और उपखंड II में "ऐसी आयों का योग" शब्दों के पश्चात्, "(जिसके अंतर्गत आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित है)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक

अंत:स्थापित किए जाएंगे और अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ii) उपखंड III और उपखंड IV में "ऐसी आयों का योग" शब्दों के पश्चात्, "(आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय को छोड़कर)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे और अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(iii) उपखंड IV के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा और अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"V. ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए आय या ऐसी आयों का योग (जिसके अंतर्गत आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित है) और कटौतियों के अधीन रहते हुए, दो करोड़ रुपए से अधिक है किंतु जो उपखंड III और उपखंड IV के अधीन नहीं आता है :

परंतु ऐसी दशा में, जहां कुल आय में आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के अधीन प्रभार्य कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग की बाबत कटौती किए गए आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;";

(ख) भाग 3 के, पैरा क में, उपशीर्ष "आय-कर पर अधिभार" के अधीन आरंभिक भाग के पश्चात्,—

(i) खंड (क) और खंड (ख) में, "जिसकी कुल आय" शब्दों के पश्चात्, "(जिसके अंतर्गत धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित है)" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) और खंड (घ) में, "जिसकी कुल आय" शब्दों के पश्चात्, "(धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय को छोड़कर)" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (घ) के पश्चात् और परंतुक से पहले, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ङ) जिसकी कुल आय (जिसके अंतर्गत धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है किंतु जो खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से लागू होगी :

परंतु ऐसी दशा में, जहां कुल आय में आय-कर अधिनियम की धारा 111क और 112क के अधीन प्रभार्य कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग पर संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ;';

निरसन और व्यावृत्तियां ।

10. (1) कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 2019 का अध्यादेश सं० 15

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

5

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वित्त (सं. 2) अधिनियम (वित्त अधिनियम, 2019), अन्य बातों के साथ, वित्तीय वर्ष 2018-19 की आय पर उद्ग्रहीत की जाने वाली आय कर अधिभार और स्वास्थ्य शिक्षा कर (उपकर) की दर का उपबंध करने के लिए तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती और अग्रिम कर के संदाय के लिए लागू होने वाली आय कर, अधिभार और उपकर की दर का भी उपबंध करने के लिए 1 अगस्त, 2019 को अधिनियमित किया गया था । विभिन्न परिणामों को ध्यान में रखते हुए, वित्त अधिनियम, 2019 के अधिनियमन के पश्चात्, यह महसूस किया गया कि अतिरिक्त राज वित्तीय उपाय करना अत्यंत आवश्यक हो गया जिससे अर्थव्यवस्था में विनिधान और विकास में तेजी लाई जा सके जिसके लिए सरकार ने पहले ही कतिपय उपायों की घोषणा कर दी थी । इन उपायों में से कुछ उपाय आय कर अधिनियम, 1961 (आयकर अधिनियम) और वित्त अधिनियम, 2019 में संशोधनों से संबंधित थे ।

2. यह भी देखने में आया है कि संपूर्ण विश्व में बहुत-से देशों ने विनिधान को आकर्षित करने के लिए और रोजगार अवसर सृजित करने के लिए कॉरपोरेट आय कर को कम कर दिया था, इस प्रकार, भारतीय उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए घरेलू कंपनियों द्वारा संदेय कॉरपोरेट आय कर की कमी के रूप में इसी प्रकार के उपायों की आवश्यकता अनिवार्य हो गई थी । अतः यह महसूस किया गया है कि घरेलू कंपनियों की कॉरपोरेट आय कर दर की कमी के माध्यम से राज वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाए जिससे कि विनिधान को आकर्षित किया जा सके, रोजगार उत्पन्न किया जा सके और देश की अर्थव्यवस्था में तेजी लायी जा सके ।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आय कर अधिनियम और वित्त अधिनियम, 2019 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करना आवश्यक हो गया है । तथापि, चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और इस विषय में महसूस की गई अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019, 20 सितम्बर, 2019 को प्रख्यापित किया गया था ।

4. कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 जो, पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है, कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के आधार पर है । तथापि, निश्चितता का उपबंध करने के लिए विभिन्न पणधारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, आय कर अधिनियम और वित्त अधिनियम, 2019 में कतिपय और संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जो निम्नानुसार है :—

(i) "कतिपय देशी कंपनियों की आय पर कर" से संबंधित आय कर अधिनियम की धारा 115खकक का संशोधन करना, जिससे—

(क) उपधारा (1) में एक परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके कि आय कर की संगणना से संबंधित व्यक्ति का विकल्प अविधिमान्य हो जाएगा, यदि व्यक्ति उक्त धारा की उपधारा (2) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने

में असफल रहता है ;

(ख) व्यक्ति द्वारा अनुपालन की जाने वाली उपधारा (2) में कतिपय अतिरिक्त आधार अंतःस्थापित किया जा सके ;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में यूनिट रखने वाले व्यक्ति द्वारा विकल्प से संबंधित उक्त धारा में नई उपधारा अंतःस्थापित की जा सकें ; और

(घ) उपधारा (5) में एक परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके कि यदि जब व्यक्ति का विकल्प विनिर्दिष्ट कारणों के लिए धारा 115खकख के अधीन अविधिमान्य हो जाता है तो वह धारा 115खकक के अधीन विकल्प का प्रयोग कर सकेगा ।

(ii) "नई विनिर्माणकारी देशी कंपनियों की आय पर कर" से संबंधित धारा 115खकख का संशोधन करना, जिससे कि—

(क) इसमें उल्लिखित कारणों के लिए भिन्न-भिन्न दरों की संगणना से संबंधित उपधारा (1) में कतिपय उपबंध अंतःस्थापित किए जा सकें ;

(ख) यह स्पष्ट किया जा सके कि इस धारा का फायदा निम्नलिखित के कारबार के लिए उपलब्ध नहीं होगा—

(i) किसी भी प्ररूप में या किसी मीडिया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विकास ;

(ii) खनन ;

(iii) संगमरमर खंडों या वैसी ही वस्तुओं का स्लैबों में संपरिवर्तन ;

(iv) सिलेंडर में गैस का बोतलीकरण ;

(v) पुस्तकों की प्रिंटिंग या सिनेमेटोग्राफ फिल्म का उत्पादन ; या

(vi) कोई अन्य कारबार, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ; और

(ग) एक नई उपधारा अंतःस्थापित की जा सके कि यदि इन शर्तों को पूरा करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो बोर्ड कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए तथा नए संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करते हुए, किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन का संवर्धन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा ;

(iii) "कतिपय कंपनियों की समझी गई आय पर संदत्त कर के संबंध में कर प्रत्यय" से संबंधित आय कर अधिनियम की धारा 115ञकक का संशोधन करना जिससे यह उपबंध करने वाली एक नई उपधारा (8) अंतःस्थापित की जा सके कि धारा 115ञकक के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे जिसने धारा

115खकक के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है ; और

(iv) वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 के उपबंधों का संशोधन करना जो पारिणामिक प्रकृति के हैं ।

5. विधेयक, पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
21 नवम्बर, 2019

निर्मला सीतारमण

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 4 कतिपय देशी कंपनियों की आय पर कर और नई विनिर्माणकारी देशी कंपनियों की आय पर कर से संबंधित आय कर अधिनियम में नई धारा 115खकक और धारा 115खकख अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित धारा 115खकक की उपधारा (2) का खंड (iv) यह उपबंध करता है कि उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कंपनी की कुल आय की संगणना करते समय, धारा 32 के अधीन अवक्षयण ऐसी रीति में अवधारित किया जाता है जो विहित की जाए । प्रस्तावित धारा 115खकख की उपधारा (2) का खंड (ग) का उपखंड (iii) अवक्षयण के अवधारण की एक समान रीति विहित करने का उपबंध करता है ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (3) का परंतुक यह उपबंध करता है कि जहां आस्ति के खंड के संबंध में ऐसा शेष अवक्षयण मोक है जिसे 1 अप्रैल, 2020 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से पूर्ण प्रभाव नहीं दिया गया है, तत्स्थानी समायोजन 1 अप्रैल, 2019 को विहित रीति में आस्तियों के ऐसे खंड के अवलिखित मूल्य के प्रति किया जाएगा, यदि उपधारा (5) के अधीन विकल्प 1 अप्रैल, 2020 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए प्रयोग किया जाता है ।

प्रस्तावित धारा 115खकक की उपधारा (5) यह और उपबंध करने के लिए है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा विकल्प का प्रयोग सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख को या उससे पूर्व विहित रीति में किया जाएगा । प्रस्तावित धारा 115खकख की उपधारा (7) इस धारा के अधीन विकल्प का प्रयोग करने के लिए एक समान रीति विहित करने का उपबंध करती है ।

उपाबंध

आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्यांक 43) से उद्धरण

* * * * * *

कतिपय देशी कंपनियों की आय पर कर।

115खक. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी किंतु धारा 111क और धारा 112 के उपबंधों के अधीन 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए किसी व्यक्ति, जो कोई देशी कंपनी है, की कुल आय की बाबत संदेय आय-कर ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर पच्चीस प्रतिशत की दर से संगणित किया जाएगा, यदि उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों का समाधान हो जाता है ।

* * * * * *

कतिपय कंपनियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध ।

115ञख. (1) * * * * *

(5क) इस धारा के उपबंध धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से किसी कंपनी को प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली किसी आय को लागू नहीं होंगे ।

* * * * * *

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 23) से उद्धरण

* * * * * *

अध्याय 2

आय-कर की दरें

* * * * * *

आय-कर ।

2. (1) * * * * *

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172, की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) . 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (20 के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है, या उस पर संदत्त किया जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर", पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

* * * * * *

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित "अग्रिम-कर" की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ, या पैरा ङ में यथा उपबंधित

अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा115कख, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115कख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115 खखघक, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115ङ, धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु क करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय का एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय दो करोड़ रूपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय पांच करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

* * * * * *

(ग) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय का एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के सात प्रतिशत दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के बारह प्रतिशत की दर से ;

* * * * * *

परंतु यह भी कि उपरोक्त (क) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय, —

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रुप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख रुपअ की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से

अधिक है ;

(ख) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप मे संदाय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दो करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रुप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दो करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दो करोड़ रूपए से अधिक है ;

(घ) पांच करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिकार की रकम पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पांच करोड़ रूपए से अधिक है ;

* * * * * *

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

* * * * * *

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,—

(i) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, —

(I) ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए पचास लाख रुपए से अधिक है, किन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ;

(II) ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ;

(III) ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ;

(IV) ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए पांच करोड़ रुपए से अधिक है ;

* * * * * *

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

* * * * * *

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधो के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किन्तु एक करोड़ रुपए से अधिन नहीं है, ऐस आय-कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ख) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दो करोड़ रुपए से अधिन नहीं है, ऐस आय-कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ग) जिसकी कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिन नहीं है, ऐस आय-कर के दस प्रतिशत की दर से;

(घ) जिसकी कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐस आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से;

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों की दशा में, जिनकी कुल आय,—

परन्तु ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है किन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय

उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दो करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(घ) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

* * * * * *

MGIPMRND—3597LS(CRC)—21-11-2019.